सामान्य नियम :–

1. सत्र् अगस्त, 2013 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई।
2. प्रत्येक एक सेमेस्टर में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सेमेस्टर की परीक्षा होगी।
3. सत्र् अगस्त, में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम सेमेस्टर जनवरी में होगा इसी प्रकार जनवरी में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम सेमेस्टर जुलाई में होगा।
4. दो वर्षीय कॉर्स में प्रत्येक छः माह में एक सेमेस्टर इस प्रकार कुल चार सेमेस्टर होगें।
5. एक वर्षीय कॉर्स में प्रत्येक छः माह में एक सेमेस्टर इस प्रकार कुल दो सेमेस्टर होगें।
6. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्योंकि प्रत्येक छः माह की छात्र उपस्थिति रजिस्टर की कॉपी निदेशालय में जमा होगी। इसलिए परीक्षा की कार्यवाही निदेशालय के द्वारा ही की जायेगी।
7. प्रत्येक सेमेस्टर में ट्रेड व्यवसाय से सम्बन्धित जैसे ट्रेड थ्योरी, प्रायोगिक, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड सांइस, एम्पलोयबिल्टी स्किल्स की परीक्षा सिलेबस के कार्यक्रम के अनुसार होगी।
8. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद परिणाम आने से पहले द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश प्रशिक्षणार्थी को मिल जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका, जन्मतिथि व अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
10. प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से पृथक किया जा सकता है।
11. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों में परस्पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।
12. उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति पूर्ण करने हेतु आगामी सत्र में प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने पर ही संस्था प्रधान द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
13. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में हल्का आसमानी शर्ट, नीला पेन्ट व काले जूते, कॉलेज आईडी कार्ड व कॉलेज बैग प्रशिक्षणार्थी को अनिवार्य रूप से संस्थान में लागू होगी।
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान हैं
15. प्रशिक्षण के दौरान प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा का प्रावधान है।
16. अभ्यर्थी की आयु प्रवेश के समय 14 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
17. प्रवेश के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
18. प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सत्र् प्रारम्भ होने के पश्चात अनुपस्थित रहने पर 10 रूपये प्रति दिन जुर्माना देय होगा।
19. किसी भी प्रशिक्षार्णी के द्वारा सत्र् प्रारम्भ होने के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सेमेस्टर वार होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
20. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा अनुशासनहीनता करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को व्यवसायवार विषय अनुदेशक द्वारा दिया जाने वाला गृह कार्य कर कर लाना होगा और प्रत्येक शनिवार को विषय अनुदेशक से जांच करवानी होगी साथ ही प्रत्येक दो माह में एक बार प्रशिक्षण अधिकारी/प्राचार्य से भी जांच करवानी होगी ।
22. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की कक्षा 05 अगस्त से प्रारम्भ होगी।
23. किसी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा किसी भी एक व्यवसाय में प्रवेश लेने के बाद दूसरे व्यवसाय में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा इसलिये सोच विचार कर अपना फॉर्म भरें।

1. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होते है :–

1.1 अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण

इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को स्थाई औद्योगिक रोजगार के लिये तकनीकी रूप से दक्ष करना है। ऐसे प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत छः माह से तीन वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार पृथक–पृथक होती हैं।

1.2 गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण

इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को लाभकारी रोजगार के लिए तकनीकी रूप से दक्ष करना है। ऐसे प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के माध्यम से जीवकोपार्जन कर सकते हैं। बदलते युग में कुछ गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में भी वृहद् उत्पादन होने के कारण उद्योगों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अन्तर्गत छः माह एवं एक वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार पृथक–पृथक होती है।

नोट :– शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में अभियांत्रिकी और गैर अभियांत्रिकी दोनों प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रत्येक वर्ष फरवरी/अगस्त माह में प्रारम्भ किया जाता है।

2. सामान्य

2.1 आवेदन–पत्र के साथ अंकतालिका, जन्मतिथि व अन्य प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें। प्रमाणित फोटो प्रतियां नहीं होने पर आवेदन–पत्र रद्द/स्वीकार किये जाने संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

- व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन–पत्र जो कि रद्द होने योग्य हो, संस्थान द्वारा उसी समय आवेदन को कमियों से अवगत करा दिया जायेगा। ऐसे आवेदन–पत्रों का पंजीकरण किया जावेगा तथा कमी पूर्ति हेतु जारी की जाने वाली सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
- डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन–पत्र जो रद्द होने योग्य हो उनका निर्धारण कर अन्तिम कमियों/रद्द करने के कारण का उल्लेख किया जायेगा। कमियों की पूर्ति हेतु स्वयं आवेदक को संस्थान में निर्धारित दिन को उपस्थित हो कर जानकारी प्राप्त कर पूर्ति करनी होगी। कमियों की पूर्ति के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
- जो आवेदक कमी पूर्ति करने के इच्छुक है, उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार वांछित कमियों की पूर्ति तीन दिवस के भीतर कर सकते हैं।

2.2 प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा तथा वे स्थान योग्यता क्रम में अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भर दिये जायेंगे।

2.3 प्रवेश के बाद अभ्यर्थी किसी और प्रशिक्षण संस्थान में नियमित अथवा अंशकालिन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित अथवा स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2.4 किसी भी व्यवसाय में पांच अथवा पांच से कम प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश होने पर वह व्यवसाय नहीं चलाया जायेगा तथा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा जमा करवाया हुआ पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त सभी शुल्क लौटा दिया जावेगा। अथवा ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों को उनकी सहमति से तृतीय चक्र पश्चात् उसी संस्थान में यदि किसी व्यवसाय में स्थान रिक्त हैं तो प्रवेश दिया जाकर एक सप्ताह में व्यवसाय बदला जा सकता है।

2.5 आवेदन–पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय सक्षम राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के समय तक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक विशेष रूप से ध्यान देवें कि स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र में निर्धारित स्थान पर एवं फोटो पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर स्पष्ट रूप से अंकित हो जिससे कि प्रवेश के समय किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। ऐसी स्थिति में होने वाली असुविधा के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. संस्था में संचालित व्यवसाय, प्रशिक्षण की अवधि एवं योग्यता निम्न प्रकार है :–

3.1 अभियांत्रिकी व्यवसाय

क्र.सं.	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि/प्रवेश स्थान	शैक्षणिक योग्यता
3.1.1	इलैक्ट्रीशियन	2 वर्ष / 16	10+2 पद्वति के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान विषय सहित अथवा समकक्ष

रोजगार :– प्रशिक्षण लेने के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग (रेलवे, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि.(RVVNL), भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (BHEL), पावर ग्रिड इण्डिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (PGCIL), इण्डिन ऑयल (ICOL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिन्दूस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास (DRDO), मेट्रो रेलवे, नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (NTPC), जलदाय विभाग, PWD, SSC, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (RVUNL), भारतीय सेना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व अन्य सभी) तथा गैर सरकारी फैक्ट्री, हॉस्पिटल, होटल आदि।

परिणाम :– सत्र 2009–11 का परीक्षा परिणाम 90% रहा।
परिणाम :– सत्र 2011–13 का परीक्षा परिणाम 70% रहा।
परिणाम :– सत्र 2012–14 का परीक्षा परिणाम 80% रहा।

3.1.1	फिटर	2 वर्ष / 16	10+2 पद्वति के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष

रोजगार :– फिटर में प्रशिक्षण लेने के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग (रेलवे, परिवहन, एयरफोर्ट, मेट्रो, जल विभाग, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास (DRDO), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (RVUNL), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व गैर सरकारी फैक्ट्री आदि में)

परिणाम :– सत्र 2009–11 का परीक्षा परिणाम 60% रहा।
परिणाम :– सत्र 2010–12 का परीक्षा परिणाम 55% रहा।
परिणाम :– सत्र 2011–13 का परीक्षा परिणाम 60% रहा।
परिणाम :– सत्र 2012–14 का परीक्षा परिणाम 95% रहा।

3.2 गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय

क्र.सं.	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि/प्रवेश स्थान	शैक्षणिक योग्यता
3.2.1	हेल्थ सैनेट्री इन्स्पेक्टर	1 वर्ष / 20	10+2 पद्वति के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 10वीं कक्षा में विज्ञान के साथ प्राथमिकता 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान रसायनिक विज्ञान एवं बायोलोजी से उत्तीर्ण को दी जायेगी।

रोजगार :– प्रशिक्षण के पश्चात सरकारी विभाग नगर पालिका, भारतीय रेलवे, हॉस्पिटल, सरकारी संस्थान, फैक्ट्री, होटल, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास (DRDO), ऑयल रिफाइनरी, हवाई अड़डा, मेट्रो रेलवे आदि।)

परिणाम :–
1. सत्र 2009–10 का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
2. सत्र 2010–11 का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
3. सत्र 2011–12 का परीक्षा परिणाम 90% रहा।
4. सत्र 2012–13 का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
5. सत्र 2013–14 का परीक्षा परिणाम 80% रहा।

4. प्रवेश में आयु सीमा

- अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 अगस्त/फरवरी को 14 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल ड्राईवर कम मैकेनिक (लाईट मोटर व्हीकल) व्यवसाय में अभ्यार्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। (जिला दण्डनायक, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर ही छूट मान्य होगी)।

5. प्रवेश में आरक्षण

- 25 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 32 स्थानों, 20 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 26 स्थानों, 16 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 21 स्थानों तथा 12 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 16 स्थानों से अधिक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6. राष्ट्रीय/राज्य व्यवसाय प्रमाण–पत्र

प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के बाद राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अंतिम अखिल भारतीय/राज्य व्यवसाय परीक्षा आयोजित की जायेगी और सफल प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित व्यवसायों में राष्ट्रीय/राज्य व्यवसाय प्रमाण–पत्र दिये जायेंगे।